

33


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 402] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 1985/श्रावण 30, 1907
No. 402] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 1985/SRAVANA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

अधिसूचना

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

का. आ. 616 (1) :—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक (वे प्रशासक, उप-राज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त हों) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन तथा आगामी आदेशों तक शक्तियों का प्रयोग करेंगे और खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 (1983 का 35) के अधीन राज्य सरकार के कार्यों का निष्पादन करेंगे।

[यू.-11030/1/85-यूटीएल]

एच. वी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1985

S.O. 616(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union Territory (whether known as Administrator Lieutenant Governor or Chief Commissioner) shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Dangerous Machines (Regulation) Act, 1983 (35 of 1983).

[U-11030/1/85-UTL]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.